No. FDS-G-(1)-1/2021
Government of Himachal Pradesh
Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs

From

The Principal Secretary (F, CS & CA) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2

To

The Director,
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department,
H.P. Shimla-9.

Dated: Shimla-171002, the 17th June, 2022

Subject: **Policy for fixation of transportation and loading/unloading charges of foodgrains at various operational points i.e. Wholesale, Sub-wholesale, Fair Price Shops (where Door Step delivery is not taking place) under Targeted Public Distribution System.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. FDS-H(F)-6/44-XI-10908 dated 13th May, 2022 on the subject cited above and to convey approval of the Government for fixation of transportation and loading/unloading charges of foodgrains under Targeted Public Distribution System in the State on the recommendation of the committee constituted under the chairmanship of Joint Director (FCS&CA) to finalize the Policy for fixation of transportation and loading/unloading charges of foodgrains under TPDS in the state. Approved original copy is enclosed herewith.

Yours faithfully

Under Secretary (F,CS&CA) to the
Government of Himachal Pradesh
E-mail-foodsupply326@gmail.com

Policy for fixation of transportation and loading/unloading charges of foodgrains at various operational points i.e. Wholesale, Sub-wholesale, Fair Price Shops (where Door Step delivery is not taking place) under Targeted Public Distribution System

1. Transportation rates from FCI to HPSCSC Wholesale Godowns shall be fixed by inviting tenders. Tenders shall be invited by District Controller, FCS&CA concerned from each FCI PDCs/NPDCs to various HPSCSC godowns attached with it. Distance upto 8 KM area will be considered as local area and rates will be uniform per quintal for it. Above 8 KM, tenders shall be invited per quintal per kilometer. The tender form will be downloaded online from the web site **https://hptender.gov.in**. The tenders shall be opened by the constituted Committee chaired by concerned Deputy Commissioner or by his representative duly authorized by him and members consisting of District Controller, FCS&CA, Area Manager, HPSCSC, Assistant Registrar Co-operative Socities and representative from Food Corporation of India.

2. For loading/ unloading at FCI / HPSCSC Wholesale godowns, rates shall be fixed by inviting online tenders. Tenders shall be invited per quintal, godown wise by District Controller, FCS&CA and shall be opened by the Committee in the same manner as prescribed under Sr.No.1. Tender form will be downloaded from the web site **https://hptender.gov.in**.

3. The cost of the forms of tender document for transportation and loading/unloading shall be deposited in the Govt. receipts by the department under appropriate head of account.

4. The rates for loading & unloading at HPSCSC Wholesale Godown shall also apply for loading & unloading of other specified articles dispatched to Fair Price Shops from HPSCSC Wholesale Godowns.

5. The transportation rates from HPSCSC wholesale godown to Fair Price Shops shall be approved by concerned Deputy Commissioner (for FPSs where door step delivery is not being implemented). Within a distance of 8 KM, the transportation rates will be uniform (per quintal being local area) and beyond 8 KM rates will be fixed per quintal per KM. Rates will be different for "Kacha" and "Pucca" roads. For Fair Price Shops located more than 10 mtrs. and less than 200 mtrs. away from road shall also be allowed head load which shall be fixed by the Deputy Commissioner concerned based on proposal from concerned Area Inspector duly recommended by SDO (C) to District Controller, FCS&CA, who in turn, will get it approved from Deputy Commissioner. In case where head load has been allowed for FPSs unloading charges will not be admissible. The transportation rates may also be approved for mules depending on the local condition of area.

6. For unloading at Fair Price Shop, where head load has not been allowed, (Where door step delivery is not taking place), unloading rates shall be fixed by concerned Deputy Commissioner on the recommendation of Distt. Controller, FCS&CA concerned keeping in view local factors and no tenders shall be invited for this purpose. Where door step delivery is operational, unloading will be included in door step delivery tenders.

7. The Draft Tender Documents for Transportation tender and tender for labour charges at wholesale godowns are annexed at Annexure - A and B.

8. **Technical bid** and **financial bid** for Transportation tender and tender for labour charges shall be submitted separately online on **https://hptender.gov.in.**

9. The technical bids shall be opened first. The financial bid will be opened of those bidders only who will be qualified in the technical bid.

10. In case of unavoidable situation, if offline tenders are invited the list of prospective tenderers/bidders shall be affixed on the notice board of the Office where the tenders have been so floated and a copy thereof shall also be sent for being displayed at the head office and in the offices of all the District controllers.

11. The estimated cost of the work should be mentioned in the tender document as per the requirement of each district on the basis of previous actual work.

12. Rates for Physical Verification must be quoted and if the bidder quotes zero rate for Physical Verification, he will have to complete the Physical Verification on zero rates.

13. The EMD amount of the each tender shall be 5 % (percent) of the anticipated work. The EMD will be deposited physically in the office of Distt. Controller, FCS&CA concerned on or before the fixed date and time. The EMD will be submitted in the shape of Demand Draft.

14. The condition to debarring/blacklisting should be included in the tender document, if L1 bidder fails to execute the agreement within stipulated time period. In case of debarring, the defaulter bidder shall be debarred to participate in any departmental tender for three years and if the bidder continuously violate this condition then the bidder will be liable for blacklisting.

Rcd 17/6/22

15. The performance security amount should be 5 to 10 percent of the total estimated cost as per HPFR 2009.

16. In case of delayed finalization of new tender for any reason, the extension to existing vender to continue the work will be given for maximum three months with the approval of committee constituted at district level, subject to the work and conduct certificate issued by the concerned Area Manger of HPSCSC Ltd in bidder's name. Further permission to extend the tender shall be given by the Director (FCS & CA) in exceptional cases.

17. Being a time consuming and cumbersome work the contract shall be valid for 2 years to avoid unnecessary delay, wastage of time and litigation.

18. The district level committee can incorporate any relevant additional term/condition as per the requirement of the concerned district, but these conditions should not interfere the basic spirit of the tender policy and tender document.

Annexure-A"

Technical Bid

क्रमाँकः–
हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले,
......................जिला .... ।

निविदा सूचना

वर्ष .... अर्थात माह .... से ....तक की अवधि के लिए भारतीय खाद्य निगम के मुख्य भण्डार केन्द्र से हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के जिला..............में कार्यरत थोक भण्डारों तक विनिर्दिष्ट वस्तुओं के ढुलान कार्य/परिवहन हेतु मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जानी है, जो दिनांक .... को प्रातः ....बजे से दोपहर ....बजे आनलाइन पोर्टल **(https://hptender.gov.in)** पर अपलोड हो जानी चाहिए तथा प्राप्त निविदायें दिनांक ,...................को सांय...................बजे निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के सामने उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृति अधिकारी (प्रतिनिधि) के सम्मुख उनके कार्यालय में खोली जाएंगी ।

विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के ढुलान कार्य/परिवहन हेतु निविदता काविवरण :-

क्र. स.	जहां से	जहां के लिए	परिवहन दर (सभी कर सहित) बिना लदाई/ उतराई एवं तुलाई (आठ किलोमीटर तक लोकल क्षेत्र तथा उसके उपर (प्रति किलोमीटर /प्रति किंवटल)				
			रूपये			पैसे	
1.	भारतीय खाद्य निगम	हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जिला थोक गोदाम स्थान/ मिलों तक।	...	...	...	...	...

Rej 17/6/22

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार से हैं :-

1. उपरोक्त कार्य की अनुमानित कीमत रु .... है।

2. कोई भी सशर्त (conditional) निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी और न ही कोई निविदा डाक, टैलिफोन, तार, ई–मेल व फैक्स द्वारा स्वीकार की जाएगी।

3. निर्धारित दिनांक व समय के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

4. निविदाऐं दो तरह की होगीं, पहली तकनीकी निविदा (Technical Bid) तथा दूसरी वित्तीय निविदा (Financial Bid), जोकि निविदाता द्वारा आनलाइन भरी जाएंगी। Technical Bid में सम्बन्धित दस्तावेज़ पी. डी. एफ. (PDF) Form में तथा Financial Bid में मुल्य/दर सभी करों सहित BOQ (bill of quantities) में Excel फारमेट में अपलोड करनी होगा।

5. निविदा हेतु धरोहर राशि (Earnest Money) मु0..............(**पांच प्रतिशत**) बैंक ड्राफ्ट (Account Payee) के माध्यम से जिला नियन्त्रक, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले...........................के पदनाम से बन्धित करवाकर संलग्न होनी अनिवार्य है तथा Physical Form में जिला नियन्त्रक, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में निर्धारित तिथि तथा समय के भीतर जमा करवानी होगी, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

6. उपायुक्त....................को इस निविदा को बिना कारण बताए रद्द करने या पुनः आमन्त्रित करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

7. उपरोक्त प्रत्येक केन्द्र के लिए गन्दम, चावल आटा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के ढुलान दर प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर सेवा शुल्क सहित शुद्ध भार के आधार पर होगी। गन्दम तथा चावल भारतीय खाद्य निगम के थोक गोदाम से हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के थोक बिक्री भण्डारों तक ले जाना होगा (8 किलोमीटर तक लोकल क्षेत्र के लिए प्रति क्विंटल तथा उसके उपर प्रति किलोमीटर /प्रति क्विंटल)।

8. ढुलान के लिए दिए गए खाद्यान्नों को गन्तव्य स्थान पर अधिक से अधिक तीन दिनों के भीतर पहुंचाना होगा। यदि रास्ते में किसी कारणवश बाधा आती है, उस स्थिति में तुरन्त उप मण्डलाधिकारी (नागरिक)/ तहसीलदार/ जिला नियन्त्रक,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले/क्षेत्रीय प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम को लिखित रूप में सूचित करना होगा। निर्धारित तिथि के भीतर खाद्यान्न न पहुंचाने के लिए परिवहन ठेकेदार से डेमोरेज चार्जिज (Demurrage charges) खाद्यान्न मूल्य का 1 (**एक**) प्रतिशत वसूल किया जाएगा।

9. सफल निविदादाता को मु0..................(रूपये) प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के माध्यम से जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले...................के पदनाम से बन्धित करवाकर संलग्न करनी अनिवार्य है तथा ईकरारनामा एवं बंन्धक पत्र एक सप्ताह के भीतर क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम को प्रस्तुत करना होगा।

10. सफल निविदादाता यदि प्रतिभूति राशि एवं ईकरारनामा व बन्धक पत्र एक सप्ताह के भीतर क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम को प्रस्तुत नहीं करेगा तो उन द्वारा जमा धरोहर राशि (Earnest Money) सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

11. सफल निविदा दाता को दिये गये समय के भीतर समझौते को अंतिम रूप देना होगा अन्यथा (EMD) धरोहर राशी जब्त कर ली जाएगी और उसे अगले 3 वर्ष तक किसी भी विभागीय निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगर कोई भी निविदा दाता बार-बार इस प्रक्रिया को दोहराता है तो उसे विभाग द्वारा वर्ज्य सूची (Black List) मे डाल दिया जाएगा।

12. परिवहन ठेकेदार गन्दम, चावल व आटा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को गणतव्य स्थान पर सुरक्षित पंहुचाने के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा तथा सम्बन्धित केन्द्रों पर सुरक्षित पहुंचाने के उपरान्त गोदाम प्रभारी की पूर्ण हस्ताक्षरित रसीद उनकी मोहर के साथ तिथि डलवाकर बिलों के साथ संलग्न करके भुगतान हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

13. परिवहन ठेकेदार या उनके एजेन्टों द्वारा सरकारी खाद्यान्न उन्हीं कर्मचारियों को सौंपा जाएगा जिन्हें क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्राधिकृत किया गया हो अन्यथा गलत डिलिवरी के लिए या रास्ते में आई किसी प्रकार की कमी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेंवार होगा।

14. यदि रास्ते में चोरी, आग, बर्फ या अन्य कारणों से नुकसान होता है तो उसके लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा तथा नुकसान की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य पर 50 प्रतिशत सरचार्ज सहित या स्थल मूल्य या बाजार मूल्य लगाने के उपरान्त जो भी राशि अधिक होगी उसकी वसुली ठेकेदार से की जाएगी।

15. परिवहन ठेकेदार को जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले/क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधीनस्थ कर्मचारियों के दिशा–निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

16. व्यक्तिगत निविदादाता के स्वंय के नाम 9 टन या इसके अधिक भार क्षमता के 5 (पांच) ट्रक होने अनिवार्य है तथा न्यूनतम 10 ट्रक उसके साथ सम्बद्ध (**Associate**) होने अनिवार्य है (टिप्पर मान्य नहीं है)। इन सभी ट्रकों का पंजीकरण हिमाचल में होना अनिवार्य है। निविदादाताओं को स्वय के ट्रकों व सम्बद्ध किए ट्रकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (**RC**) की फोटो प्रतियां निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करनी होगी व साथ ही सम्बद्ध ट्रकों के मालिकों का इस आशय से नोटरी से सत्यापित शपत्र पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने ट्रक निविदादाताओं को, उसकी जब भी वह माँग करता हैं, उपलब्ध करवायेगें। ट्रक यूनियन/ सहकारी सभा को उनके साथ सम्बंद्ध ट्रकों की सूची (ट्रक नम्बर व मालिक के नाम सहित) निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी व उनके पास 9 टन या इससे अधिक भार क्षमता के 15 ट्रक होने अनिवार्य है।

17. हि0प्र0रा0ना0आपूर्ति निगम के ट्रकों को इस कार्य हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। परिवहन ठेकेदार को निगम के ट्रकों द्वारा खाद्यान्नों के ढुलान पर किसी प्रकार की आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।

18. परिवहन ठेकेदार द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम..................की मांग के अनुसार ट्रक उपलब्ध न करवाने अथवा निविदा की अन्य शर्तों की उल्लघंना की स्थिति में उपायुक्त से पारित आदेश के अनुसार प्रतिभूति राशि (**Security amount**) को एकमुश्त जब्त कर लिया जाएगा तथा भविष्य के लिए उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इस स्थिति में परिवहन का कार्य दूसरी न्यूनतम भाडा दर की निविदादाता को L-1 दरों पर आवंटित किया जा सकता है।

19. परिवहन दरों का अन्तिम अनुमोदन उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। यदि निविदा अवधि के दौरान निविदा शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि0प्र0 सरकार, शिमला को मध्यस्थता हेतु भेजा जाएगा जिनका निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

20. निविदा का देय समय समाप्त होने के बाद और नई निविदा के **finalizaion** होने से पहले कार्य कर रहे ठेकेदार को अधिकतम 3 महीने तक कार्य करने हेतु बढोतरी सम्बंधित कमेटी द्वारा दी जाएगी तदोपरान्त विषेश परिस्थिति में बढोतरी निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि0प्र0 द्वारा दी जाएगी। यह बढोतरी संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ठेकेदार के पक्ष में जारी किए गये कार्य और आचरण के प्रमाण पत्र के आधार पर ही दी जाएगी।

21. सफल ठेकेदार को ढुलाई हेतु गन्दम, चावल, आटा व अन्य आवश्यक वस्तुऐं नैट वजन में सौंपी जाएंगी तथा उसके परिवहन/ढुलाई करने का भुगतान गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने के उपरान्त नैट वजन पर भाडे का भुगतान जांच पडताल के उपरान्त किया जाएगा।

22. ठेकेदार से प्राप्त बिलों की अदायगी नियमानुसार सेवाकर, आयकर इत्यादि काटकर की जाएगी।

23. सफल ठेकेदार को मुबलिक 1½ लाख रूपये प्रत्येक के दो जमानती निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देने होगें तथा सम्बन्धित निगम के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध तथा इकरारनामें पर होने वाले खर्च को ठेकेदार स्वयं वहन करेंगा। उक्त इकरारनामा निगम के साथ निविदा में दी गई शर्तो के अनुरूप ही किया जाएगा।

24. सफल ठेकेदार द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति .... के साथ प्रतिभूति राशि जमा कर व इकरारनामा, करने के उपरान्त ही उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक धरोहर राशि **(Earnest Money)** वापिस की जा सकेगी।

25. अनुमोदित ठेकेदार वर्ष ....की अनुमोदित दरों व शर्तो पर जब तक अगले वर्ष यानि वर्ष 20.............. हेतु परिवहन/ढुलान दरों की स्वीकृति नहीं हो जाती है तब तक कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

Ravi
17/6/22

26. यह निविदा 2 बर्ष के लिए मान्य होगी।

....

Form of Financial Bid for Transportation Work

विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के ढुलान कार्य/परिवहन हेतु निविददाता का विवरण :-

क्र. स.	जहां से	जहां के लिए	परिवहन दर (सभी कर सहित) बिना लदाई/ उतराई एवं तुलाई के (आठ किलोमीटर तक लोकल क्षेत्र तथा उसके उपर (प्रति किलोमीटर /प्रति किंवटल)	
			रूपये	पैसे
1.	भारतीय खाद्य निगम	हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जिला थोक गोदाम स्थान/ मिलों तक।		

नाम / हस्ताक्षर

Annexure-'B'

Technical Bid

क्रमाँकः
हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले,
......................जिला .... ।

निविदा सूचना

निविदा सूचना वर्ष .... अर्थात अप्रैल,........... से 31 मार्च,...... ....तक की अवधि के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निम्नलिखित थोक गोदामों में विनिदृिष्ट वस्तुओं के मजदूरी कार्य हेतु मोहरबन्द निविदा दिनांक .... को आमन्त्रित की जाती हैं, जो दिनांक.....................तथा समय.......................बजे तक आनलाइन पोर्टल **(https://hptender.gov.in)** पर अपलोड हो जानी चाहिए तथा प्राप्त निविदाओं को दिनाँक .... को समय.................. बजे निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के सामने उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि के सम्मुख उनके कार्यालय में खोली जाएगी।

जिला .... में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के थोक भण्डारों में मजदूरी हेतू :-

17/6/22

थोक गोदाम का नाम जहां मजदूरी का कार्य किया जाना हैं:-	
कार्य की अवधि ....से या निविदा स्वीकृत होने की तिथि से ।	
कार्य का विवरण	**(दर प्रति क्विंटल)**
1. ट्रक से उतराई, तुलाई व गोदाम में ढाँक लगाना :	
2. ट्रक से उतराई व बिना तोले गोदाम में रखना :	
3. गोदाम से निकालना व बिना तोले ट्रक में लादना :	
4. गोदाम से निकालना, तोलना व ट्रक में लादना :	
कुल	

कार्य का विवरण	
1. प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान व भारमुक्ति के समय गोदाम से निकालना, तोलना व दोबारा गोदाम में ढॉग लगाना :	

निविदा की शर्तें:

1. उपरोक्त कार्य की अनुमानित कीमत रु .... है।

2. निर्धारित दिंनाक व समय के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

3. उपायुक्त किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए रदद् करने का या दोबारा से आमन्त्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

4. मजदूरी की दरें नैट वज़न एवं प्रति क्विंटल होनी चाहिए

5. निविदाऐं दो तरह की होगीं, पहली तकनीकी निविदा (**Technical Bid**) तथा दूसरी वित्तीय निविदा (**Financial Bid**), जोकि निविदाता द्वारा आनलाइन भरी जाएंगी। **Technical Bid** में सम्बन्धित दस्तावेज़ पी. डी. एफ. रूप (**PDF**) **form** में तथा **Financial Bid** में मुल्य/दर सभी करों सहित **BOQ (bill of quantities)** में **Excel** फारमेट में अपलोड करनी होगा।

6. निविदा हेतु धरोहर राशि (**Earnest Money**) मु0..............(**पांच** प्रतिशत) बैंक ड्राफ्ट (**Account Payee**) के माध्यम से जिला नियन्त्रक, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले..........................के पदनाम से बन्धित करवाकर संलग्न होनी अनिवार्य है तथा **Physical Form** में जिला नियन्त्रक, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में निर्धारित तिथि तथा समय के भीतर जमा करवानी होगी, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जांएगी।

7. मजदूरी दरों का निर्धारण प्राप्त निविदाओं की अन्तिम दरों की गणना अनुवंध (क)(**Financial Bid**) में क्रम संख्या 1-4 का योग कर जिस भी निविदादाता की दरें न्यूनतम होगी, उसके आधार पर किया जाएगा। खाद्यानों के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतू दरें भरनी अनिवार्य है, यदि प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए निविदादाता द्वारा कोई भी दर नहीं भरी होगी तो शून्य दर पर प्रत्यक्ष सत्यापन का का कार्य पूर्ण करना होगा।

Rw
17/6/22

8. जब तक निविदा प्रक्रिया पर अन्तिम रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जाती व सफल ठेकेदार द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से इकरारनामा अमल में नहीं लाया जाता तब तक दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में ली गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

9. लेबर ठेकेदार को पर्याप्त मात्रा में लेबर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवानी होगी। यदि किसी कारणवश किसी मजदूर को दुर्घटना या अन्य कारण से क्षति होती हैं तो उसके लिये ठेकेदार स्वय उतरदायी होगा तथा जो मजदूर गोदाम में कार्य करेगे उन का ब्यौरा क्षेत्रिय प्रबन्धक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को देना होगा।

10. सफल लेबर ठेकेदार को क्षेत्रीय प्रबन्धक, आपूर्ति निगम शिमला के साथ 15 दिनों के भीतर-2 अनुबन्ध करना होगा तथा साथ में प्रत्येक थोक केन्द्र के प्रति मु0 ....(रुपये) की प्रतिभूती राशी के रूप में बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 "अदाता खाता" (**Account Payee**) के माध्यम से जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले .... के पदनाम से बन्धित करवाकर संलग्न की जानी अनिवार्य होगी अन्यथा निर्धारित समयावधि के भीतर बन्धक पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में धरोहर राशी सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

11. प्रतिभूति राशी का विमोचन वर्ष .... के लेखों का लेखा परीक्षण होने के पश्चात किया जाएगा। यदि उनसे किसी प्रकार की बसूली निकलती हैं तो उसकी बसूली प्रतिभूति राशी में से की जाएगी।

12. मजदूरी की दरों का अन्तिम अनुमोदन उपायुक्त द्वारा किया जाएगा।

13. सफल ठेकेदार यदि कार्य करने में असमर्थ रहता हैं या बीच में ही कार्य छोड़ कर चला जाता हैं तो उस दशा में उसकी प्रतिभूति राशी सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी व दूसरे स्थान पर रहने वाले निविदादाता को पूर्व निर्धारित L-1 दरों पर कार्य आबंटित किया जाएगा।

14. सफल ठेकेदार को बिलों के भुगतान करते समय नियमानुसार आयकर की कटौती कर ली जाएगी तथा बिलों की अदायगी के समय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसारं सर्विस टैक्स की कटौती पूर्णरूप से कर ली जाएगी।

15. सफल ठेकेदार को खाद्यान्नों के रख-रखाव **(Handling)** के दौरान सुतली, धागा इत्यादि का खर्च स्वंय वहन करना होगा।

16. अनुमोदित ठेकेदारों कों इन दरों व शर्तो प्र अगले वर्ष तक के लिए भी जब तक दरें पुनः अनुमोदित नही होती कार्य करते रहना होगा।

Rey
17/6/22

17. प्रत्येक बोली दाता को अपनी निविदा के साथ अपनी पहचान व पते **(Proof of address & Proof of Identity)** सम्बन्धी दस्तावेज आनलाइन पोर्टल **(https://hptender.gov.in)** में अपलोड़ करने होंगे। इन दोनो दस्तावेजो के बिना निविदा रदद् मानी जाएगी।

जिला नियन्त्रक, खाद्य,नागरिक आपूर्ति
एवंउपभोक्ता मामले, ...
जिला..............(हि०प्र०)

....

Form of Financial Bid for Labour Work

जिला .... में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के थोक भण्डारों में मजदूरी हेतू :-

थोक गोदाम का नाम जहां मजदूरी का कार्य किया जाना हैः-	
कार्य की अवधि .... से...................... या निविदा स्वीकृत होने की तिथि से ।	

कार्य का विवरण	(दर प्रति क्विंटल)
1. ट्रक से उतराई, तुलाई व गोदाम में ढॉग लगाना :	
2. ट्रक से उतराई व बिना तोले गोदाम में रखना :	
3. गोदाम से निकालना व बिना तोले ट्रक में लादना :	
4. गोदाम से निकालना, तोलना व ट्रक में लादना :	
कुल	

कार्य का विवरण	
1. प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान व भारमुक्ति के समय गोदाम से निकालना, तोलना व दोबारा गोदाम में ढॉग लगाना :	

17/6/22

नाम / हस्ताक्षर
(पूर्ण पते सहित)